



छत्तीसगढ़ विधान सभा

षष्ठम विधान सभा - अष्टम् सत्र

(दिनांक 23 फरवरी, 2026 से 20 मार्च, 2026 तक)

सत्रावधि में संपादित कार्यों की सांख्यिकीय जानकारी

सत्र की अवधि	26 दिन
बैठकों की संख्या	15
अनुदान मांगों पर चर्चा	47 घंटे 04 मिनट
विनियोग पर चर्चा	6 घंटे 49 मिनट
प्रश्नों पर चर्चा	13 घंटे 30 मिनट
बैठकों में लगा कुल समय	108 घंटे 11 मिनट

प्रश्न

सूचनाएं प्राप्त	2924
तारांकित प्रश्न	1495
अतारांकित प्रश्न	1429
ग्राह्य तारांकित	1324
ग्राह्य अतारांकित	1235
कुल ग्राह्य तारांकित एवं अतारांकित	2559
सदन में उत्तरित	86
नियम 52 के अधीन आधे घंटे की चर्चा	01

शासकीय विधेयक

सूचनाएं प्राप्त	08
सदन में पारित	08 (01विनियोग सहित)

स्थगन प्रस्ताव

कुल प्राप्त सूचनाएं	244 (6 विषय)
अग्राह्य	105 (2 विषय)
ग्राह्यता पर चर्चा	निरंक
वक्तव्य पश्चात् अग्राह्य	139 (4 विषय)

ध्यानाकर्षण सूचनाएं

कुल प्राप्त सूचनाएं	603
ग्राह्य	220
अग्राह्य	317
शून्यकाल में परिवर्तित	66

नियम 139 की सूचनाएं

प्राप्त सूचनाएं	01
लंबित	01

नियम 267-क के अंतर्गत विषय

कुल सूचनाएं	137
ग्राह्य	40
अग्राह्य	31
ध्यानाकर्षण से परिवर्तित	66

अशासकीय संकल्प

प्राप्त सूचनाएं	31
ग्राह्य	07
अग्राह्य	24

याचिकाएं

प्राप्त सूचनाएं	370
ग्राह्य	124
अग्राह्य	246

वित्तीय कार्य

वित्तीय वर्ष 2026-2027 के प्रथम अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन।

अधिसूचना का पटल पर रखा जाना

प्राप्त अधिसूचना	22
पटल पर रखे गये प्रतिवेदन	21

राज्य के विभिन्न निगम/मंडल/आयोगों के प्रतिवेदन का पटल पर रखा जाना

प्राप्त प्रतिवेदन	21
पटल पर रखे गये	21

विधान सभा की समितियों के प्रतिवेदन का पटल पर रखा जाना

1. कार्य मंत्रणा समिति	01
2. गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति	02
3. सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति	16
4. लोक लेखा समिति	36
5. याचिका समिति	02
6. पटल पर रखे गये पत्रों के परीक्षण करने संबंधी समिति	02

राज्य के बजट से संबंधित जानकारियों का पटल पर रखा जाना

- (1) छत्तीसगढ़ राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2025-26।
- (2) वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट से संबंधित छत्तीसगढ़ राज्य का निष्पादन बजट (परफार्मेंन्स बजट)।
- (3) भारत के नियंत्रक-महालेखपरीक्षक से प्राप्त छत्तीसगढ़ राज्य के वर्ष 2024-25 के वित्त लेखे खण्ड-1 एवं खण्ड-2 तथा विनियोग लेखे।

- (4) 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिये भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का राज्य के राजस्व पर प्रतिवेदन छत्तीसगढ़ शासन, वर्ष 2026 का प्रतिवेदन संख्या-01 (निष्पादन एवं अनुपालन लेखापरीक्षा-सिविल) ।
- (5) छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2005 (क्रमांक 16 सन् 2005) की धारा 6 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार बजट अनुमान वर्ष 2024-2025 के संदर्भ में अंतिम तिमाही तथा बजट अनुमान वर्ष 2025-2026 के संदर्भ में प्रथम व द्वितीय तिमाही की आय तथा व्यय की प्रवृत्तियों की समीक्षा। ।
- (6) छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2005 (क्रमांक 16 सन् 2005) की धारा 6 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार बजट अनुमान वर्ष 2024-2025 के संदर्भ में अंतिम तिमाही तथा बजट अनुमान वर्ष 2025-2026 के संदर्भ में तृतीय तिमाही की आय तथा व्यय की प्रवृत्तियों की समीक्षा।

अन्य

पुस्तकालय,संदर्भ एवं अनुसंधान सेवा	दिनांक 23 फरवरी से 20 मार्च, 2026 तक सत्र के दौरान माननीय सदस्यों एवं पत्रकारों को कुल 90 पृष्ठ पुस्तकालय साहित्य की छायाप्रति प्रदान की गई है।
छत्तीसगढ़ विधान सभा की वेबसाईट	छत्तीसगढ़ विधान सभा की वेबसाईट में सत्र से संबंधित अधिसूचना, सामान्य सूची, दिनदर्शिका, प्रश्नों से संबंधित विभागों एवं माननीय सदस्यों को भेजे जाने वाले पत्रक, दैनिक कार्यसूची, मान. सदस्यों को वितरित किये जाने वाले पत्रक भाग-दो, संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-1), प्रश्नोंत्तरी एवं प्रतिदिन जारी की जाने वाली प्रेस विज्ञप्ति अपलोड की गई। ई-विधान पोर्टल पर सभा से संबंधित पटल पर रखे गए साहित्य अपलोड किये गये। मोबाईल एप पर कार्यसूची, प्रश्नोंत्तरी, सभा की कार्यवाही, संक्षिप्त कार्य विवरण, पत्रक भाग-दो तथा अन्य महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध करायी गयी है। इसके अतिरिक्त समस्त शाखाओं को कम्प्यूटर से संबंधित कार्यों में यथा आवश्यक सहयोग प्रदान किया गया।

छत्तीसगढ़ विधान सभा प्रवेश	प्रवेश पत्र कार्यालय द्वारा अध्यक्षीय दीर्घा के 1475 प्रतिष्ठित दीर्घा के 4900, दर्शक दीर्घा के 8400 प्रवेश पत्र जारी किये गये एवं 585 आत्मसमर्पित नक्सली विधान सभा की कार्यवाही देखने आये ।
स्वास्थ्य शिविर का आयोजन	दिनांक 23 फरवरी से 20 मार्च, 2026 तक सत्र के दौरान दिनांक 17 मार्च 2026 से दिनांक 19 मार्च, 2026 तक 03 दिवसीय स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया।
छत्तीसगढ़ विधान सभा का भ्रमण/कार्यवाही का अवलोकन	छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक संस्थान के 2384 छात्र-छात्राओं /शिक्षकों ने कार्यवाही का अवलोकन/परिसर का भ्रमण किया।